



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

JPR-5-107

क्रमांक: जेपीडी / मुअ / (वा) / एफ 4 (236) / प्रे. 264 जयपुर, दिनांक 17/2/03

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
(COMMERCIAL WING)

-: आदेश :-

NO. JP-Disc/CE(O) / SEC(C) / JPR-5-107 / P.L. / D. 295 dt. 20.2.2003

ORDER

राज्य में भयंकर अकाल एवं सूखे की स्थिति को देखते हुये राज्य सरकार ने कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाय के विशेष श्रेणी वाले उपभोक्ताओं को भी राहत प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया है कि ऐसे उपभोक्ताओं से वास्तविक उपभोग के आधार पर ही बिल वसूल किये जायें तथा मिनिमम बिलिंग एवं वास्तविक उपभोग की राशि के अन्तर का पुर्नभरण राज्य सरकार द्वारा विद्युत वितरण निगमों को किया जायेगा।

तदानुसार कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाय के विशेष श्रेणी वाले उपभोक्ताओं (टेरिफ कूट सं. 4200 एवं 4400) से बिलिंग माह मार्च, 2003 से वास्तविक उपभोग के आधार पर ही बिल की राशि वसूल की जावेगी। पूर्व में जारी आदेश जेपीआर 5-93 दिनांक 24.10.02 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार उपभोक्ताओं को जारी किये जाने वाले बिल में पूर्व कि भाँति मिनिमम बिलिंग की राशि को अलग से इंगित किया जायेगा परन्तु उपभोक्ता को केवल वास्तविक उपभोग की राशि ही जमा करवानी होगी।

उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर डिस्काम बिल बनाने वाली संस्थाओं को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि मिनिमम बिलिंग की राशि के अन्तर की राशि जिसका पुर्नभरण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, का क्लेम राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है।

उपरोक्त आदेश बिलिंग माह मार्च, 2003 से लागू होंगे चालू वित्तीय वर्ष के बिलिंग माह फरवरी, 2003 तक पूर्व आदेशानुसार जारी किये गये बिलों का भुगतान उपभोक्ता द्वारा देय होगा।

- 1) Under this schedule such of the consumers who are supplied power at 11 KV or above, irrespective of the voltage class, as per Class (b) "Character of Service", the Jaipur Discom, permitted and shall be given a rebate of 7.5% on the billed amount. However, such rebate shall not be admissible on the amount of

(आर.पी.गोयल)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)